फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री आमल्या भैरूजी स्थान जरिये श्री भेरूलाल बनाम विपक्षी : श्री कन्हैयालाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 40/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 14.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जरिये वाद मित्र के तौर पर पेश कर मौजा वोल्यों का साथ पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड की खाता संख्या 234 खसरा संख्या 146 रकबा 0.0100 है भूमि व खसरा संख्या 147 रकबा 0.3000 है भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 में खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने के प्रावधान किये गये है साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सीमा विवाद नहीं पाया गया। भू. राजस्व अधिनियम की धारा 128 में सीमा संबंधित विवाद होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:27 IST
Reason: SelfAttested